


तामीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अदकतस जो हुकम हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>3. प्रार्थना द्वारा को गी दीगी original document को कि मूल का ही देता प्रार्थना द्वारा को, जो कि, माहम में admitted प्रार्थना द्वारा इन को कि माहम द्वारा को सत्यता की प्रमाण के साथ पेश की है। (The person seeking the return may need to provide a certified copy of the document before it is returned.)</p> <p>R. Shankar vs E. Pammohan choudary writ petition No 100487 of 2022 मामल में माहम Karnataka High court has held that "order 13 Rule 9 of the Code, which pertains to the return of documents produced during a trial, is not to be strictly limited to the party that physically submits the documents in court, instead, it is to ensure rightful ownership and fair administration of justice."</p> <p>4. उपरोक्त विनय के आदेश पर प्रार्थना का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना द्वारा पेश एवं केवल आशिल फाइल को प्रार्थना की return किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थना द्वारा पेश certified copies को मूल का में आशिल किया जाने। O.B.R.G epc के sub-rule (2) के अनुसार प्रार्थना से उत्तरेण (क्रम) मारने / प्राप्त करने की receipt ली जावे। प्रमाण प्रकरण के समग्रता के लिए नम्बर से कम होकर मूल का के साथ समान हो।</p>	


 13/06/25